भकोली देवी बनाम मिश्याली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय जपु हस्ताक्षर जज
	दावा क्रं.नं. - 76/2025
24.06.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश हेतु आज पेश हुई। वकील वादीया उपस्थित। वकील वादीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत घोषणा एंव दुरूस्ती रिकार्ड का न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर वादपत्र को डिक्री किया जाता है। उक्तानुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को खातेदारी दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:59:13 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर
पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
76 / 2025	2025 / 185	23.05.2025	24.06.2025

उनवान प्रकरण

1. मकोली देवी पत्नी स्व0 रामेश्वर लाल सैनी आयु 84 साल जाति माली निवासी ढाणी मलजी वाली तन ग्राम हासंपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

–वादीया–

बनाम्

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

––प्रतिवादी––

उपस्थित :–

श्री विनोद कुमार सैनी, एड0 वादीया अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) सत्यमेव जयते

वाद पत्र बाबत् उद्घोषणा एवं दुरूस्ती रिकार्ड
(अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्त. अधि. 1955)

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीया ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादी इस आशय से प्रस्तुत ... ग्राम हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के कृषि भूमि ... किता 2 कुल रकबा 0.11

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:59:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

हैक्टर मे 177/1070 हिस्सा एव कृषि भूमि खसरा नम्बर 279 रकबा 0.04 हैक्टर मे 33/856 हिस्सा व खसरा नम्बर 273, 274/1, 275/1, 276, 277, 278, 280, 281/1, 306 से 311, 313 से 316 कुल किता 18 कुल रकबा 7.7796 हैक्टर मे हिस्सा 30841/203728 मे वादीया का नाम मुकुली देवी पत्नी रामेश्वर लाल दर्ज है जबकि वादीया का वर्तमान मे वास्तविक नाम मकोली देवी है। वादीया के समस्त सरकारी दस्तावेजात् आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पास बुक आदि मे वादीया का नाम मकोली देवी दर्ज है जबकि उक्त कृषि भूमियों में वादीया का नाम मुकुली देवी गलत दर्ज है। जिससे वादीया को सख्त हकतलफी है एव वादीया को राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से मिलने वाली सुविधाओं में परेशानी आ रही है। इसलिए वादीया का नाम खातेदारी में मुकुली देवी के स्थान पर मोकली देवी घोषित किया जाकर दुरूस्त किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। मुकुली देवी व मकोली देवी एक ही महिला वादीया के ही नाम है तथा घर पर बोलचाल के रूप में मुकुली कहने के कारण राजस्व रिकार्ड में मुकुली अंकित हो गया। वादीया ने भूमिधारी तहसीलदार व पटवारी हल्का से उक्त दुरूस्ती कराने हेतु कहां तो दिनांक 07.04.2025 को इन्कार हो गये एंव न्यायालय मे दावा पेशकर आदेश लाने हेतु कहे जाने पर यह दुरूस्ती का दावा पेश करना आवश्यक हुआ हैं। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड इस अमर की पारित की जावे कि राजस्व ग्राम हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 283, 284 कुल किता 2 कुल रकबा 0.11 हैक्टर में 177/1070 हिस्सा एंव कृषि भूमि खसरा नम्बर 279 रकबा 0.04 हैक्टर में 33/856 हिस्सा व खसरा नम्बर 273, 274/1, 275/1, 276, 277, 278, 280, 281/1, 306 से 311, 313 से 316 कुल किता 18 कुल रकबा 7.7796 हैक्टर में हिस्सा 30841/203728 में वादीया का नाम मुकुली देवी के स्थान पर मकोली देवी घोषित किया जाकर दुरूस्त किया जावें एंव इसी अनुसार दुरूस्ती हेतु भूमिधारी को दिये जाने का निवेदन अपने वादपत्र में किया हैं।

वादीया द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत करने पर वादपत्र को जॉच हेतु मूल ही इस कार्यालय के पत्रांक [illegible] दिनांक 22.04.2025 के द्वारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर को भिजवाया गया। जिस पर वादपत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:59:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्रांक 1452/भू.अ/2025 दिनांक 15.05.2025 के द्वारा जॉच रिपोर्ट प्राप्त होने पर वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी की तामील साधारण तरीके से करवाये जाने के बावजूद भी हाजिर अदालत नही आने पर अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। प्रकरण मे वकील वादीया ने वाद पत्र में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से प्रकरण मे आज ही बहस सुनी जाकर वादपत्र का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमनें वकील वादीया की बहस एक पक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादी द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 की छह जमाबंदीयॉ, नामान्तकरण संख्या 624, 414, 755 की फोटो प्रतियॉ रजिस्टर्ड विकय लेख दिनांकित 20.01.2012, 24.09.2004, 03.11.2009, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता फोटो पहचान पत्र, पटवारी हल्का हांसपुर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाई गई अभिशंषा रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कृर्षि भूमियों के खाता संख्या 258, 259, 260 में खातेदार मुकुली देवी पत्नी रामेश्वर लाल जाति माली सा. देह जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार दर्ज रिकार्ड है। उक्त नाम में यह परिवर्तन दौराने पंजीयन विकय लेख के समय मकोली देवी के स्थान पर मुकुली देवी सहवन से दर्ज होना तथा उक्त नाम एंव वल्दियत का इस गांव हासंपुर में अन्य कोई व्यक्ति नही होना तथा उक्त व्यक्ति व वल्दियत दोनों एक ही व्यक्ति के होना एंव इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं होना रिपोर्ट में अंकित किया है। वादीया का नाम मको[illegible] जाति माली वादीया के अन्य दस्तावेजात् यथा भारत निर्[illegible] मतदाता फोटो पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड की प्रति, आधार [illegible] में अंकित होना प्रकट होता है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने भी अपनी जॉच रिपोर्ट में मुकुली देवी पत्नि रामेश्वर के स्थान पर मकोली देवी पत्नि स्व0 रामेश्वर लाल अंकित किये जाने की अभिशंषा की गई

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:59:13 IST
Reason: SelfAttested

है। वादीया का सही नाम मकोली देवी पत्नि स्व0 रामेश्वर लाल नाम होना रिकॉर्ड से प्रकट होता है। अतः ऐसी स्थिति मे वादीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर वादीया का नाम मुकुली देवी पत्नि रामेश्वर लाल के स्थान पर मकोली देवी पत्नि स्व0 रामेश्वर लाल शुद्ध किया जाकर दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतित होता हैं।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीया का वाद बाबत घोषणा एंव दुरूस्ती रिकार्ड को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि राजस्व ग्राम हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 283, 284 कुल किता 2 कुल रकबा 0.11 हैक्टर में 177/1070 हिस्सा एंव कृषि भूमि खसरा नम्बर 279 रकबा 0.04 हैक्टर में 33/856 हिस्सा व खसरा नम्बर 273, 274/1, 275/1, 276, 277, 278, 280, 281/1, 306 से 311, 313 से 316 कुल किता 18 कुल रकबा 7.7796 हैक्टर में हिस्सा 30841/203728 में वादीया का नाम मुकुली देवी के स्थान पर मकोली देवी घोषित किया जाता है। उक्तानुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को खातेदारी दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 24.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:59:13 IST
Reason: SelfAttested